28/1/19 को पेश हो।

28/1/19 [illegible] शुभकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक [illegible] पधारे है। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।

28/1/19

28/1/19 पत्रावली प्रस्तुत। वादी/अपीलार्थी वादी अनुपस्थित। 3 बार आवाजे लगवाई परन्तु अनुपस्थित। अतः पत्रावली अस्थाई तौर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फौरन खुलने के बाद पक्षकार ने अपील दायर की निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)